घरेलू हिंसा रोकने में महिला पुलिस की भूमिका की सार्थकताः एक विश्लेषण

देश की आधी आबादी का भविष्य विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश में संकटग्रस्त स्थिति में दिखाई दे रहा है। महिलाएं घर की चार दीवारी में भी असुरक्षित महसूस करे, इससे अधिक लाचारी व विवश्ता क्या होगी। जब स्वतंत्र राष्ट्र में महिलाएं अपने परिवार, सगे सम्बन्धियों, ईश्वर कहे जाने वाले पति परमेश्वर व अपने पिता के घर में भी अत्याचार, दुर्व्यवहार, हिंसा, यौन उत्पीडन आदि का शिकार होती है, क्या इस पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति गौण, निम्न, पीडिता, शोषण, अत्याचारों व गुलामों की ही रहेगी? क्या हमारी शासन व्यवस्था के सभी आधार स्तम्भ व्यवस्थापिका, सरकार, न्यायपालिका व मीडिया मौन व चुप्पी लगा कर कठपुतली बना तमाशा देखता रहेगा ? क्या कानून व्यवस्था, अपराधियों की खोजबीन व उन्हें सजा दिलाने वाली पुलिस इस दिषा में लाचार व विवश ही बनी रहेगी ? शक्ति स्वरूपा नारी की समाज में यह दुर्दशा कब तक होती रहेगी। ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' जैसी कहावत वर्तमान समाज में क्षीण होती जा रही है। महिलाओं के प्रति बढते अत्याचार ,शोषण, यौन उत्पीडन और बलात्कार जैसी घटनाएं वर्तमान समाज में बढती जा रही है। महिलाओं को समाज में दोयम दर्जा देने जैसी प्रवृतियों के कारण उत्पीडन व शोषण का शिकार होना पड रहा है। यहां तक की परिवार के निकट के रिश्तेदार माता, पिता, बहन, भाई, सास, ससुर, ननद, भाभी, आदि सदस्यों द्वारा महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार होता है तथा उत्पीडन से महिलाओं को शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचता है। दहेज की आग में आज भी महिलाओं को धकेल दिया जाता है। दहेज व्यपार की मंडी में आज भी उनकी खरीद फरोख्त होती है। यह अत्याचार शहरी–ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित, व्यवसायिक– अव्यवसायिक, गृहणी –नौकरीपेशा, बच्ची एवं अधेड सभी वर्गो में बढ रहा है। महिलाएं घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें अपनों द्वारा ही प्रताडित होना पडता है, व्यंगबाणों से छेदा जाता है। उनकी अस्मिता, शुचिता पर आक्रमण किया जाता है। जब विषादपूर्ण स्थिति में उनका हद्धय तार–तार हो जाता है तब भी उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं होता। पति और सास–ससुर की गालियां, अपशब्द, दुष्चरित्र की संज्ञा, उपेक्षा व मानसिक प्रताडना से बेबस और लाचार होकर वह मौन रहकर सब कुछ सहती है। घरेलू हिंसा व प्रताडना से त्रस्त महिलाएं अपना समस्त जीवन, परिवार बच्चों और समाज के लिए अपने को दांव पर लगा देती है। **महादेवी वर्मा की ये पक्तियां कि** 'संसार परिवर्तनशील है, यहां बडे–बडे साम्राज्य बह गए, संस्कृतियॉ लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, रीति रिवाज बदल गए, रूढियां टूट गई, सबकुछ बदल गया पर स्त्रियों की दशा नहीं बदलती है। इस कथन के द्वारा यह आंकलन किया जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के साथ घटित अपराधों के लिए पुरूष प्रधान मानसिकता के साथ–साथ सामाजिक परम्पराएं, बंधन, रूढियां जिम्मेदार है। महिलाएं वर्तमान सभ्य, सुसंस्कृत और आधुनिक समाज में भी पुरूष वर्ग द्वारा शासित व संचालित है। पुरूष वर्ग ने महिलाओं पर सदैव अपना शिकंजा कसा है। समाज में महिलाओं पर अपना वर्चस्व कायम करने में कोई कसर नहीं छोडी है। इसी कारण महिलाएं विविध रूपों और विविध प्रकार के शोषणों का दंश झेलती है। तिरस्कार, उपेक्षा, शोषण, अपमान और अवमानना का विष पीती है और मूक पशु की भांति दिखाई देती है।

- समाज में पुरूषों की प्रधानता एवं महिलाओं को दोयम दर्जा देने की परम्परा
- लैंगिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक, कानूनी प्रावधानों को सामाजिक स्वीकृति न मिलना।
- महिलाओं को हिंसा से बचाने हेतु बनाए गये कानूनी प्रावधानों का जमीनी स्तर पर लागू न होना।
- संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को निर्मित और लागू करने वाली सरकारी एजेंसियों में कार्यरत् व्यक्तियों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी।
- सार्वजनिक जीवन में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की कम उपस्थिति।
- बाजारीकरण ने प्यार व यौन संबंधों को यौन वासना में बदल दिया है।
- स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता
- महिला साक्षरता प्रतिषत कम होना एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव।
- सामाजिक कुप्रथाएं– बाल विवाह, दहेज प्रथा, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, आदि
- पारिवारिक झगडे और तनाव
- घटते जीवन आदर्श या नैतिक मूल्यों का ह्रास

महिला हिंसा के बढते अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण :–

महिलाओं के विरूद्व अपराधों से संबंधित दर्ज मामलें						
क्रसं	अपराध की प्रकृति	वर्ष				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	बलात्कार	24206	24923	33707	36735	36651
2	बलात्कार का प्रयास	–––	––––	––––	4232	4434
3	महिला अपरहरण	35565	38262	51881	57311	59277
4	दहेज हत्या	8618	82533	8083	8455	7634
5	महिलाओं के शील भंग करने के लिए उन पर किए गये हमलें	42968	45351	70739	82235	82422
6	महिलाओं को लज्जित करना	8570	9173	12589	9735	8685
7	पति एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा लज्जित करना	99135	106527	118866	122877	113403
8	विदेशी महिलाओं का अपहरण	80	59	31	13	06
9	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना	–––	–––	–––	3734	4060
अ	भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कुल मुकदमें	219142	232528	295896	325327	314575
10	सती रोकथाम अधिनियम में दर्ज मामलें	0	0	0	0	0
11	महिलाओं से अशोभनीय व्यवहार/प्रदर्षन	453	141	362	47	40
12	दहेज रोकथाम अधिनियम में दर्ज मामलें	6619	9038	10709	10050	9894
13	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलें	–––	–––	–––	426	461
14	महिलाओं के विरूद्व अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलें	2436	2563	2579	2070	2424
ब	महिलाओं के विरूद्व कुल एसएलएल अपराध	9508	11742	13650	12593	12819
	कुल योग (अ़ब)	228650	244270	309546	337922	327994

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार पिछले दस वर्षो में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में दुगनी वृद्धि हुई है। इन दस वर्षो में 22.4 लाख घटनाएं दर्ज है। आंकडों के अनुसार प्रत्येक एक घंटे में महिलाओं के प्रति अपराध की 26 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई। 2015 के आंकडें बताते है कि पिछले चार वर्षो में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में 34 प्रतिषत की वृद्धि हुई। महिलाओं के प्रति क्रूर व जघन्य अपराधों में बलात्कार प्रमुख रहा है।

2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुल बलात्कार की घटनाएं 34651 में से 33098 घटनाएं अर्थात 95 प्रतिशत घटनाएं सगे संबंधियों आर पडोसियों द्वारा अंजान दी गई। महिलाओं के प्रति बढते अपराध के आंकडे वास्तविक जीवन में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। सच्चाई यह है कि भारतीय समाज में महिलाएं अपने प्रति होने वाले अपराध या अत्याचार को पारिवारिक दबाव व सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है साथ ही कानूनी प्रक्रिया की अनभिज्ञता और सामाजिक साहस के अभाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाती है जबकि स्वीडन में विश्व मे सबसे ज्यादा अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसी प्रकार से भारत में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों के सबसे ज्यादा मामलें दर्ज होते है। इसका कारण है महिला समाज में चेतना का स्तर अधिक होना और राज्य मशीनरी की तत्परता परन्तु यह तथ्य भी सही है कि महिलाओं की प्रति हिंसा लगातार बढ रही है और पूरा समाज इस परिघटना से चिंतित है। महिलाओं और बच्चियों से बढती बलात्कार की वारदातों को रोकने के लिए केन्द्रीय केबिनेट ने क्रिमिनल लॉ कानून में संशोधन करते हुए 2018 में इसे मंजूरी दी। इसके तहत् 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है पर इसके बावजूद हिंसा थमने का नाम नही ले रही। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए सिर्फ पुरूष ही जिम्मेदार नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग जैसे गंभीर अपराधों में महिलाओं की व्यापक संलिप्तता पाई गई है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीषों की पीठ ने 8 अक्टूबर 2016 को निर्णय देते

हुए घरेलू हिंसा कानून 2005 में संशोधन करते हुए यह निर्णय दिया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून में केवल व्यस्क पुरूषों के खिलाफ आरोप दाखिल करने की जगह महिला और अल्प व्यस्क पुरूष के खिलाफ भी कानून के अनुसार आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों के विवेचन, विश्लेषण और समाधानों के उपायों को महिला पुरूष वर्ग से जोडकर या केवल कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में देखने की बजाय उसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में भी देखना होगा जिसके अन्तर्गत पुरूष प्रधान मूल्यों और संस्कृति का विकास होता है और परम्परागत मूल्यों व रूढियों की सतह में महिलाएं हिंसा का विरोध नहीं कर सकती है।

घरेलू हिंसा से जुडे मुद्दे–

महिलाएं प्राचीन काल से ही अत्याचार, शोषण व उत्पीडन का दंश झेलती रही है वृदहारण्यक, उपनिषद, अथर्ववेद एवं मनुस्मृति में महिलाओं पर की जा रही हिंसाओ का उल्लेख मिलता है, मध्यकाल में स्त्रियों पर अत्याचारों मे उत्तरोतर वृद्धि होती गई। महिलाएं पर्दाप्रथा, सतीप्रथा, बालविवाह एवं वैश्यावृति जैसे बंधनों में जकडती गई, इसके कारण महिलाओं के विकास के द्वार बंद हो गये।

तसलीमा नसरीन की पुस्तक 'औरत होने का दर्द'में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार को रेखांकित किया गया है महिला अकेले घर विलम्ब से लौटती है तो उसे तर्कपूर्ण कारणों को स्पष्ट करना होता है। गैर मर्दो के साथ देखी जाती है तो उसके चरित्र पर सन्देह होता है। वर्तमान में महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण व मारपीट जैसी घिनौनी हरकतें बढती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या कोष और महिलाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सात राज्यों मं 9205 पुरूषों से की गई बातचीत के आधार पर लिखी गई एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 6 पुरूष अपनी पत्नी के साथ हिंसक व्यवहार करते है। यह हिंसा भावनात्मक, शारीरिक, यौन संबंधी और आर्थिक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में भी देश में घरेलू हिंसा की व्यापकता की ओर संकेत किया है कि भारत में 14–49 वर्ष की 70 प्रतिषत महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार है। विभिन्न अध्ययनों से यह उभर कर आया है कि देष में 25 वर्ष से कम उम्र की पत्नियां पति के उत्पीडन का अधिक शिकार होती है। शिक्षित पत्नियों की अपेक्षा अशिक्षित पत्नियां घरेलू हिंसा का अधिक शिकार होती है, ऐसा भी अनुमान है कि हर पांच में से दो विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा के विष का घूंट पीना पडता है। पुरूष वर्ग की नशाखोरी, जुआखोरी व कुत्सिक प्रवृतियों के कारण भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पडता है। यही नहीं आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी महिलाएं विविध प्रकार से घरेलू हिंसा का जहर पीने का बाध्य है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू हिंसा से मिली शारीरिक चोटों से लेकर दीर्घकालीन अवसाद यानी डिप्रेषन तक स्वास्थ्य समस्याओं की सूची लंबी हो रही है खासकर के गर्भावस्था के दौरान घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप कम वजन के शिशुओं का जन्म हो रहा है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं अपने परिवार, अपने बच्चों की देखभाल, संरक्षण व विकास सक्षम व सुचारू रूप से सम्पादित नही कर पाती। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है तथा परिवार जैसी महत्वपूर्ण इकाई के विघटन की तलवार लटक जाती है। ऐसे परिवारों के विकास का मार्ग अवरूद्व हो जाता है ऐसे परिवार के बच्चों में हीनभावना, अवसाद, शंकालू, कमजोर मनोबल जैसी प्रवृतियां पनपने से समाज का विकास भी अवरूद्व हो जाता है बच्चों के गैर कानूनी व सामाजिक अपराध के भंवर में फंसने की संभावना बढ जाती है। घरेलू हिंसा का जहर परिवार के साथ–साथ पडोस, समाज व देश को भी झेलना पडता है पारिवारिक विघटन होने पर सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगती है।

कन्या भ्रूण हत्या– शक्ति ज्ञान व सम्पति की प्रतीक नारी को देवी तो मानते है पर फिर उसे दुनिया में नहीं आने देते। अल्ट्रासाउंड तकनीक का विकास गर्भ में बीमारियों का पता लगाने के लिए किया गया था, वह तकनीक आज बच्चे के लिंग जांच कर कन्या भ्रूण हत्या का अचूक नुस्खे के रूप में इक्तियार की जा रही है। 2011 मे जनगणना सर्वे के अनुसार 0–6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में प्रति एक हजार लडकों पर लडकियों की संख्या 914 रह गई। सन् 1991 में लडकियों की संख्या प्रति हजार 933 तथा 2001 में 927 थी। सर्वेक्षण के मुताबित देष के बडे शहरों – महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, आदि में 914 से भी कम प्रतिशत रहा। पंजाब हरियाणा में यह आंकडा क्रमशः 846 तथा 830 रहा। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आते है कि भारत में 1986 से लेकर 2006 में एक करोड बच्चियों को गर्भ में ही मार डाला गया। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति के अनुसार एषियाई देशों (विशेषकर भारत व चीन में 11 करोड 70 लाख कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी गई) भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड 12 लाख गर्भपात होते है। जिनमें 67 लाख स्वभाविक न होकर प्रेरित होते है, जो बालिका भ्रूण हत्या के निमित बनते है। देष में 1 करोड बालिकाओं की कोख में ही हत्या कर दी जाती है। इसे रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत इस तरह गर्भस्थ शिशु की लिंग पहचान करने वाले डॉक्टर को 50 हजार रूपये

का आर्थिक दण्ड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। सितम्बर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों से इस दिशा में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए, ये आदेश वालेन्टरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब की याचिका की सुनवाई पर किया गया। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीएनडीटी) एक्ट के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेन्टरों पर कडी नजर नही रखती, इसके कारण महिला लिंगानुपात की स्थिति बिगड रही है। राज्य सरकार द्वारा हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर पर किसी व्यक्ति द्वारा (पीसीपीएनडीटीए) के उल्लघंन तथा कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है शिकायत सही पाये जाने पर मुखबिर को 1 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

<u>बालविवाह</u>– भारत में बालविवाह जैसी समस्या सदियों से चली आ रही है। 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 47 प्रतिषत बालिकाओं का नाबालिग रहते हुए ही विवाह कर दिया जाता है। यद्यपि हम आज 21वीं सदी में जी रहे है, पर महाराष्ट्र में गर्भवती स्त्रियां पहले ही तय कर लेती है कि उनमें एक लडका व दूसरी के लडकी हुई तो वे विवाह कर देगीं। राजस्थान में आज भी आखातीज के अवसर पर दूध पीते बच्चों को गोद में बिठाकर विवाह कर दिया जाता है। कम आयु में विवाह होने, सन्तानें होने व पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है। वे बीमार बनी रहती है, फलस्वरूप मृत्यु दर बढ जाती है। औसत जीवन अवधि घट जाती है और सन्तानें दुर्बल पैदा होती है। पहली बार 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम पारित किया गया। 1978 मे व्यापक रूप दिया गया है। सन् 2006 में निर्मित बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 10 जनवरी 2007 से यह लागू किया गया। इस अधिनियम में बाल विवाह रोकने के लिए सशक्त कदम उठाये गए। इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बाल विवाह करने वालो को दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये तक का जुर्माना देना होगा। धारा 10 के तहत् बाल विवाह सम्पन्न कराने वाले, दुष्प्रेरित करने वाले को भी दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है। नए अधिनियम की धारा 15 के तहत् इसे दण्डनीय अपराध मानते हुए कठोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बाल विवाह की सूचना कोई भी जानकार थाने में जाकर दे सकता है उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। पुलिस पूछताछ कर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजती है। इसके आधार पर बाल विवाह में लिप्त अपराधियों को सजा दी जायेगी। बाल विवाह करवाने वालो को 3 माह की कैद 1000 रू0 जुर्माना या कैद व जुर्माना दोनों हो सकते है। पुलिस मौके पर पहुंचकर ऐसे विवाह को रूकवाने की कार्यवाही भी कर सकती है।

<u>विधवा पुनर्विवाह निषेधः</u>– विधवाओं को पति की मृत्यु के बाद नारकीय जीवन जीना पडता है। इससे सती प्रथा का प्रचलन हुआ, समाज में अनैतिकता व व्याभिचार में वृद्वि हुई, आर्थिक संकटो व पारिवारिक संघर्षो से तंग आकर ज्यादातर विधवाएं वैश्यावृति अपना लेती है। विधवा विवाह निषेध से हिन्दू समाज की लाखों विधवाओं को दुखी जीवन जीना पडता है, उन्हे डायन, अनिष्टकारी जैसी संज्ञा दी जाती है। परिवार के नजदीकी रिश्तेदार एवं असामाजिक तत्व उसकी देह लूटने का प्रयास करते है, यदि वह जाल में फंस गई तो सारा दोष उसी पर मढ दिया जाता है।

<u>सती–प्रथा</u> – प्राचीन समय से चली आ रही इस परम्परा में किसी महिला के पति की मौत होने पर उसकी पत्नी को जीवित जला दिया जाता था, ये मानवाधिकारों के विरूद्ध है। 1988 में भारत सरकार सती निषेध अधिनियम 1987 पारित किया। इसके अन्तर्गत ऐसा करने के लिए उकसाने, दुष्प्रेरित करने पर मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर को सती कर्म को रोकने इससे सम्बन्धित सम्पति जब्त करने तथा सती पूजा अर्चना के स्थानों को हटाने हेतु सशक्त किया गया है। यदि उनके इन कर्मो में कोई बाधा पहुंचाता है तो दण्ड व जुर्माने का भी प्रावधान है। इस आरोप में दोषी सिद्ध व्यक्ति को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जनप्रतिनिधित्व हेतु अयोग्य माना गया है।

<u>दहेज प्रताडना एव ंदहेज हत्या</u>

गृह मंत्रालय की अपराध पंजीकरण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 1987 से लेकर 1991 तक दहेज के कारण हत्याओं में 170 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। वर्ष 2011 में देष में दहेज प्रताडना में 99,135 मामलें, 2012 में 1,06,527 मामलें व 2013 में 1,97,762 मामलें दाखिल हुए। नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2011 में 47,746 महिलाओं ने व 2012 में 46,992 महिलाओं ने आत्महत्या की। छोटे–छोटे घरेलू विवाद दहेज प्रताडना में तबदील हो रहे है। कई बार बहू और उनके परिवार वाले अन्य मामलों में विवाद का बदला लेने के लिए इस कानून का सहारा लेती है। देष में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्ष 5000 हत्याएं दहेज से सम्बन्धित होती है। राजस्थान में वर्ष 2009 और 2010 में प्रति एक लाख महिलाओं पर 5 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। 2012 में 8233 महिलाओं की हत्या दहेज के कारण हुई।

दहेज पीडित महिलाओं का अध्ययन करने के बाद आंकडों और तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आये है।

- दहेज प्रताडना से पीडित महिला शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में शोषित होती है।

- दहेज प्रताडना में आयु कोई मायने नहीं रखती, हर जाति, वर्ग, धर्म में यह बुराई फैल रही है। जिसमें महिलाओं का जीवन उसकी बलि पर होम कर दिया जाता है।
- दहेज प्रताडना संयुक्त परिवारों में अधिक पाई जाती है।
- 95–100 प्रतिशत पीडिताओं के प्रति दहेज की मांग पूरी करने के पश्चात् भी ससुराल वालों का रूख अपेक्षापूर्ण नहीं रहा।
- 60–65 प्रतिशत पीडित पक्ष ने दहेज की मांग को कर्जा देकर चुकाया और 35–40 प्रतिशत स्वयं की सम्पति द्वारा दहेज की मांग को पूरा किया।
- 55–60 प्रतिशत पीडिताओं के प्रति विवाह के तुरंत बाद दुर्व्यवहार शुरू हो गया, जबकि 40–45 प्रतिशत के साथ बच्चा होने के बाद दहेज के लिए प्रताडित किया गया।
- 90–95 प्रतिशत दहेज प्रताडनाओं मे पीडिताओं की सास, पति तथा 75 प्रतिशत में ससुर, ननद और 60 प्रतिशत में देवर की भूमिका मुख्य रही।
- 90–100 प्रतिशत पीडिताओं ने अत्याचारों को पहले चुपचाप सहन कर लिया, जब अत्याचार असहनीय हो गया तभी इसकी सूचना पीहर पक्ष को दी। अधिकांशतः दहेज प्रताडिताओं ने उन पर होने वाले अत्याचारों की सूचना विलम्ब से पुलिस को दी क्योंकि उन्हे अपने और परिवार वालों की बदनामी का भय था।
- 80–90 प्रतिशत पीडिताओं को दहेज के कारण प्रताडित करके घर से निकाल दिया गया।
- दहेज प्रताडनाओं के लिए 40–45 प्रतिशत पीडिताओं के ससुराल वालो को दहेज प्रताडना के लिए डराया व समझाया गया और 25–30 प्रतिशत ने स्वयं पीडिता को ही यह कहकर समझाया कि सबकुछ ठीक हो जाएगा और 20–25 प्रतिशत ने दहेज की मांग के प्रति असमर्थता जताई।

अधिकांशतः मृतकाएं विवाह के पश्चात् 6 से 24 महीने तक दहेज के लिए प्रताडना को सहन करती रही। विवाह के दो वर्ष के भीतर ही उन्हें मार दिया गया। अत्याचारों की सूचना मिलने पर 60–65 प्रतिशत पीडिताओं को उनके पीहर वालों ने समझाया और 30–35 प्रतिशत पीडिताओं के ससुराल वालों को डराया समझाया गया। मृतकाओं में से 45–50 प्रतिशत को जलाकर 20–25 प्रतिशत को जहर देकर 20–25 प्रतिशत को फांसी देकर और 5–10 प्रतिशत को गला दबाकर मारा गया है। अधिकांश मृतकाओं की संताने ननिहाल पक्ष में रह रही है।

दहेज प्रताडना कानून 1961–धारा 498ए के तहत् दहेज के लिए पत्नी को प्रताडित करने पर उसके पति व अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। दहेज उत्पीडन में आत्महत्या के दुष्प्रेरक व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। धारा 304 (ख) के अन्तर्गत दहेज मृत्यु को अपराध मानते हुए कम से कम सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

दहेज प्रताडना का मामला गैर जमानती है। दहेज लेना व देना,सहायता करना व मांगना कानूनी अपराध है। दहेज लेना व देने के जुर्म मे पांच साल तक की कैद और पन्द्रह हजार रूपये जुर्माना तथा इससे ज्यादा राशि पर दहेज की रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कई बार यह कानून लीगल टेररिज्म यानी कानूनी आतंक का रूप ले लेता है। लडके व उसके परिवार वाले पति पत्नी के बीच अहं, मामूली पारिवारिक विवाद, अलग रहने की इच्छा के चलते इस कानून का दुरूपयोग करते है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरूपयोग का जिक्र करते हुए बताया कि कानून सुरक्षा कवच के बजाय हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। 2012 में कोर्ट के अनुसार धारा 498 के तहत् अपराध के लिए 19,772 व्यक्ति गिरफ्तार किये और गिरफ्तार किये व्यक्तियों में करीब एक चौथाई पतियों की मां, बहन, व बुजुर्ग थे, जो भारतीय दंड संहिता के तहत् हुए कुल अपराधों का 4.5 फीसदी है। 498ए के मामलों में चार्जशीट की दर 93.6 प्रतिशत, जबकि सजा की दर मात्र 1.5 प्रतिशत है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कानून का प्रयोग कर महिलाएं झूठे मुकदमें दर्ज करवाती है। कई बार तो साथ न रहने वाले सास ससुर को भी दहेज के लिए प्रताडित करने का आरोप लगाया जाता है। एक सर्वेक्षण में पुष्टि की गई, जिसमें विख्यात पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी भी शामिल थी। दहेज विरोधी कानून के तहत् जितने भी मुकदमें दर्ज कराए जाते है, उनमें से अधिकांश झूठे व निराधार होते है। इस कानून को लडकियों ने ससुराल वालों से पैसा उगाहने का जरिया बना लिया है। इस कानून के दुरूपयोग के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं बच्चों से भी कोर्ट में झूठ बुलवाया जा रहा है। ये कानून सम्पति लेन–देन का जरिया बनता जा रहा है। इस कानून के तहत् मिले अधिकारों से लैस पुलिस प्रशासन व वकील भी आतंकवादी बनते जा रहे है, पैसे लेकर केस रजिस्टर कर रहे है। वकील विवाहित लडकियों को गलत सलाह दे रहे है। 498ए के साथ–साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

125 के अन्तर्गत प्रतिमाह अपने और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की राशि मांगने का केस दाखिल करने की सलाह दे रहे है। इस कानून का उद्देष्य महिलाओं को दहेज प्रताडना से बचाना था लेकिन इसका प्रयोग पुरूषों के विरूद्ध हो रहा है। पत्नियां इस कानून का सहारा लेकर पतियों को ब्लेकमेल कर रही है। घर परिवार से अलग होने, जमीन जायदाद अपने नाम करने की धमकी दे रही है। दहेज प्रताडना के मामलों में धारा 498ए के तहत् बडी तादाद में हो रही गिरफ्तारी और इसके बढते आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। 2 जुलाई 2014 को दहेज से जुडे मामलें पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के समय पुलिस के लिए निजी आजादी व सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाये रखना बहुत जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस दहेज प्रताडना सहित 7 साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में केस दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती उसे गिरफ्तार के लिए पर्याप्त कारण बताने होंगे। 498ए में कोई शिकायत आये तो गिरफ्तारी तब तक न हो जब तक कोई सबूत व गवाही उपलब्ध न हो, एफ.आई.आर की एप्लीकेशन में जो आरोप जैसे विवाह में दहेज की मांग लगाया जा रहा हो तो उसे साबित करने के लिए 2 गवाह और सबूत मांगे जाने चाहिये, तभी एफ.आई.आर दर्ज की जानी चाहिये, ताकि 498ए के संज्ञेय व गैर जमानती होने के कारण असंतुष्ट व लालची पत्नियां इस कवच का इस्तेमाल सुरक्षा कवच के बजाय हथियार के रूप में न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे भी प्रावधान होने चाहिये जिनमें केस को लम्बित रखने व केस के झूठे होने पर वादी को सजा मिल सके, ताकि 498ए कानून के दुरूपयोग को रोका जा सके। कोर्ट ने पुलिस को भी यह हिदायत दी कि दहेज उत्पीडन केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन किन्ही मामलों में 7 साल की सजा हो सकती है उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इसी आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने यह अपराध किया ही होगा। इस कानून के दुरूपयोग ने शादी जैसे पवित्र बंधन को तोडना आसान बना दिया।

<u>सुझाव</u>ः–इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी जाये कि उनके क्षेत्र में होने वाली शादी में लडकी वालो की तरफ से दिये गये सामान की सूची का रिकार्ड रखा जाये। दहेज देने वाले व लेने वाले दोनों को गुनाहगार मानना होगा। सिर्फ लेने वालों के खिलाफ केस दर्ज हो, लेकिन देने वालो के खिलाफ नहीं इसे बदलना होगा। शादी के समय लेनेदेन को पंजीकृत किया जाये, ताकि ये निर्धारित हो जाये कि ये दान स्वरूप है या दहेज स्वरूप है, यदि दहेज स्वरूप है तो शादी को तुरंत खारिज कर दिया जाए तथा दहेज लेने व देने वालों को तुरंत जेल भेज दिया जाये तथा उनकी कमाई के स्रोतों की जांच हो ताकि उस पर टैक्स लगाया जा सके।

दहेज हत्या को रोकने में पुलिस कार्यवाही, न्यायालय अन्वेषण और चिकित्सीय परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दहेज के लालची लोग एक निर्दोष अबला को मौत के घाट उतार देते है, इस सामाजिक अपराध को कम करने में यदि पुलिस अपने कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता के द्वारा कार्य करे, घटना घटित होते ही तुरंत सक्रिय हो, मुकदमा दर्ज करे, पीडिता के प्रति सहानुभूति रखे, सहयोगी रूख अपनाएं, अपराधियों का कच्चा चिट्ठा अदालत मे प्रस्तुत करे तो ऐसी घटनाओं के घटने में काफी कमी आ सकती है।

<u>वैश्यावृत्ति व देह व्यापार का अनैतिक धंधा</u>

महात्मा गांधी का कथन– ''वैश्यावृत्ति मानव समाज के लिए कलंक है।'' राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 60 हजार से भी अधिक बच्चियों को बडे शहरों में लाकर वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। यहां तक कि नेपाल व बांग्लादेश से भी बच्चियां लायी जाती हैं। वर्ष 2013–2014 में गायब हुई 45 प्रतिषत बच्चों की वैश्यावृत्ति के लिए तस्करी की गई। देष में 2004 में वैश्यावृत्ति में लगी महिलाओं व युवतियों का सर्वेक्षण महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा करवाया गया। इस सर्वे के अनुसार देश में उस समय इनकी संख्या 28 लाख थी। इनमें से 36 प्रतिशत बच्चियां थी। सीबीआई की रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत में रेडलाइट क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक महिलाएं वैश्यावृत्ति का षिकार है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 612 जिलों में किये गये अध्ययन के मुताबिक आधे से अधिक जिलों में यौन शोषण के लिए नाबालिग युवतियों, महिलाओं की तस्करी होती है। देह व्यापार के लिए महिलाएं मजबूर है, यहां तक कि पिता, भाई ग्राहक ढूढ कर लाते है।

<u>देश में वैश्यावृत्ति की राज्यवार स्थिति (2013–2014 के अनुसार)</u>

राज्य	संख्या
महाराष्ट्र	4,01,300
पश्चिम बंगाल	3,67,058
आंध्रप्रदेश	3,20,024
तमिलनाडु	3,03,750
उत्तरप्रदेश	2,71,868

कर्नाटक	2,00,701
राजस्थान	1,67,305
गुजरात	1,46,950
मध्यप्रदेश	1,44,338
कुल	**28,27,534**

भारत में 1956 में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम पारित किया गया। वैश्यावृत्ति की ओर धकेलने वाले 2–5 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये का दण्ड का प्रावधान है। सन् 1986 में वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम व स्त्री अषिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम पारित किया गया।
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई 2011 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 572, मुम्बई में 221, बैंगलुरू में 97, चेन्नई में 76, जयपुर में 92, महिला दुष्कर्म के अपराध दर्ज हुए। दिल्ली सरकार के द्वारा कराएं गये एक सर्वेक्षण के मुताबिक राजधानी में 80 फीसदी महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती है, विडम्बना यह है कि देश में महिलाओं की अस्मिता न घर में और न बाहर, न शिक्षा मंदिर, न पुलिस थाना, न छात्रावास, न जेल कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लचर कानून व्यवस्था ही ऐसे अपराधियों को निडर बना देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में प्रति तीन मिनट में एक महिला का उत्पीडन, प्रति 15 मिनट में 1 महिला से छेडछाड, प्रति 9 मिनट में पतियों के द्वारा उत्पीडन, प्रति 77 मिनट में दहेज हत्या, प्रति 22 मिनट में बलात्कार होते है, जो एक घोर चिन्तनीय विषय है। 20 वर्षो में भारत में अदालतों में लम्बित महिला अपराधों का प्रतिशत 76 से बढकर 83 हो गया और सजायाबी का प्रतिशत 1991 में 41 प्रतिशत था जो 2000 में 29.8 और 2011 में घटकर 26.6 रह गया है, अर्थात प्रति चार गिरफ्तार किये गए अपराधियों में से 3 छूट जाते है तथा अदालत में अपराध निपटाने में वर्षो लग जाते है तो पीडिता को न्याय कैसे मिलेगा। घरेलू हिंसा से निजात महिलाएं तभी पा सकती है जब उन्हें मानसिक, वैचारिक, और शारीरिक रूप से आजादी मिलेगी। कितने भी कानून बन जाये जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक यह कानून यूं ही दम तोडते रहेंगे। कानून का क्रियान्वयन भी उतनी ही ईमानदारी से किया जाये जितना की उसका निर्माण किया गया है। भारत में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में निरन्तर घटती जा रही है। 2001 के आंकडों के अनुसार 1000 पुरूषों पर 933 महिलाएं है। 76 प्रतिषत मर्दो की तुलना में 54 प्रतिषत महिलाएं ही साक्षर है। लडकों की तुलना में लडकियों को बहुत कम स्कूल भेजा जाता है, स्कूल छोडने वाले बच्चों में लडकियों की संख्या अधिक होती है। जमीन और सम्पति के अधिकारों में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, न तो उनके नाम से कोई सम्पति रजिस्टर्ड होती है और न ही पिता की सम्पति में उन्हें हिस्सा मिलता है और न ही पति की पैत्रृक सम्पति में तलाक के बाद भी उनका अधिकार होता है। 2005 में उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत् पैत्रृक सम्पति में बेटों के समान बेटियों को भी उत्तराधिकार प्रदान किया गया। औरतें जीवन भर हिंसा की शिकार होती है। महिलाओं के प्रति घटित कुल अपराधों में 2012 की स्थिति के अन्तर्गत राजस्थान चौथे स्थान पर है और पति के द्वारा क्रूरता के मामलों में राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर है। जयपुर शहर में वर्ष 2012 में प्रति 65 मिनट में एक बलात्कार की घटना घटती है, जबकि यह आकंडे अहमदाबाद में 139 मिनट, कोलकाता में 128 मिनट, बैंगलुरू में 97 मिनट, और चेन्नई में 93 मिनट रहा है। 2012 में महिला अपराधों की दृष्टि से दिल्ली, मुम्बई, जयपुर प्रमुख स्थानों पर रहे है। पीडित महिलाओं की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच की रही है। राजस्थान में वर्ष 2012 में घटित 2049 बलात्कार के मामलों में अपराधियों में 44 मामलों में अपराधी पिता व परिवार का सदस्य, 174 मामलों में निकट का रिश्तेदार, 582 मामलों में पडोसी, 1213 मामलों में अन्य परिचित व्यक्ति रहें है अर्थात महिला घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है। 2012 में राजस्थान राज्य में 202 दलित वर्ग महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई है जो राष्ट्रीयता के स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
बलात्कार की घटनाएं निरन्तर बढती जा रही है।

वर्ष	बलात्कार
2008	21467
2009	21397
2010	22172
2011	24206
2012	24993
2013	34182

16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में एक छात्रा के साथ बर्बर गैंगरैप के बाद तो ये घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार देश में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, हर 44 मिनट में एक महिला का अपहरण तथा हर 24 घण्टे में 17 महिलाएं दहेज हत्या की षिकार होती है। राष्ट्रीय

अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2013 में भारत के 88 शहरों में दिल्ली, मुम्बई के बाद जयपुर महिला अपराधों मे तीसरे स्थान पर है। महिला उत्पीडन में अपराध धारा 498 (क) के अन्तर्गत न्यूनतम 5 से 10 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाने हेतु बाध्य करना, बलपूर्वक असहाय या धोखे में रखकर अपहरण में अपराध धारा 360 से 369 तक अपहरण की श्रेणी में आते है। इस हेतु अलग–अलग सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। केन्द्र व राज्य सरकारों के महिला सुरक्षा के तमाम प्रयासों के बावजूद न सिर्फ बडे शहरों बल्कि छोटे शहरो व गांवो में भी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। महिला उत्पीडन के मामलों में 40 प्रतिशत ऐसे मामले है जिसमें अवयस्क बालिकाएं शिकार हुई है, इनमें भी 60 प्रतिशत मामलें ही पुलिस में दर्ज होते है, इनमें भी अदालत 12.6 प्रतिशत मामलें निबटा पाई है।

वर्तमान अध्ययन में महिला उत्पीडन पर किये गये शोध मे प्राप्त तथ्यों और आंकडों के विष्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि:–

- बलात्कार पीडित महिला के साथ समाज व सहयोगियों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण व असहयोगात्मक होता है।
- इस अध्ययन के अन्तर्गत एक महत्वूपर्ण तथ्य यह सामने आया कि बलात्कार की घटना घटित होने के पश्चात् परिवार का रूख सहानुभूतिपूर्ण रहता है। लेकिन जब पुलिस में रिपोर्ट करने की बात आती है तब यह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के स्थान पर उपेक्षापूर्ण व्यवहार की शुरूआत हो जाती है।
- बलात्कार के मामलों में अपराधी के लिए पीडिता की आयु कोई मायने नहीं रखती है।
- बलात्कार की घटनाएं अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा शिक्षित महिलाओं के साथ अधिक घटित हुई है।
- बलात्कार अविवाहित महिलाओं की अपेक्षा विवाहित महिलाओं के साथ अधिक हो रहा है।
- 90 प्रतिशत पीडिताओं के साथ बलात्कार विवाहित पुरूषों द्वारा किया गया है।
- बलात्कार की घटना घरेलू महिलाओं की उपेक्षा कामकाजी महिलाओं के साथ अधिक घटित हो रही है।
- आज बलात्कार से कोई भी समाज, वर्ग, जाति अछूते नही रहें है।
- 32 प्रतिशत पीडिताओं के साथ बलात्कार की घटना उनके स्वयं की घर में, 16 प्रतिशत के साथ अभियुक्त के घर में, 20 प्रतिशत के साथ एकांत में तथा 28 प्रतिशत के साथ उनके कार्यस्थल पर घटित हुई है।
- 60 प्रतिशत पीडिताओं पर बलात्कार से पूर्व किसी भी प्रकार दबाव नहीं था।
- 80 प्रतिशत पीडिताओं से बलात्कारी व्यक्ति पूर्व परिचित थे।
- 60–70 प्रतिशत पीडिताएं डॉक्टरी जांच से सन्तुष्ट नहीं पायी गई।
- 60–70 प्रतिशत पीडिताएं बलात्कार की घटना के कारण सामाजिक दुर्बलता तथा पुरूष प्रधानता को मानती है।
- 100 प्रतिशत पीडिताएं बलात्कार की घटना को अतिगम्भीर विषय मानती है।
- 100 प्रतिशत पीडित महिलाएं समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती।
- बलात्कार पीडिता के जीवन की त्रासदी बनकर रह जाती है, यह हर पल अपनी ही दृष्टि में गिरी हुई आत्मग्लानि से दबी सुबक–सुबक कर रोती हुई जिन्दगी व्यतीत करती है।

घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय

पिछले एक दशक में महिलाओं के विरूद्व अत्याचारों व हिंसा का ग्राफ निरन्तर बढता जा रहा है। यद्यपि घरेलू हिंसा को रोकने के लिये अनवरत् कानून बना कर महिलाओं को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। इनमें घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 इस दिशा में सबसे प्रभावी एवं व्यावहारिक कदम है, पर इसके बावजूद भी घरेलू हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। महिलाओं में हिंसा के 38 प्रतिशत मामलें घरेलू हिंसा का ही परिणाम होते है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीडन संबंधी शिकायतों की शीघ्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पर दुनिया के अधिकांष हिस्सों में पुलिस ऐसी शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती यहां तक की बहुत ही कम देश ऐसे है जहां पर्याप्त महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाने और सुधारने के लिए शिक्षा, जागरूकता प्रत्यायन आचार, सार्वजनिक प्रभाव और सामुदायिक कार्यो द्वारा ऐसी सामाजिक प्रवृतियों में परिवर्तन लाना होगा। महिलाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में सर्वोच्च स्तर पर रही है, क्योंकि उन्होनें हर घर में शौचालय बनाने की बात रखी तो उसका संबंध नारी अस्मिता और शौच के

दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं से जोडा गया, जिसमें बहुत बडी सच्चाई भी है। गांव और कस्बों मं रात के अंधेरे में जब महिलाएं शौच के लिए निकलती थी तब उनके साथ छेडखानी या बलात्कार जैसी कितनी ही हिंसक घटनाएं होती थी। शौचालय बनने से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगी है।

भारत में फास्ट ट्रेक अदालतों की सूची वर्ष 2011 की रिपोर्ट के अनुसार–

क्र.सं	राज्यों के नाम	वर्ष 2000	वर्ष 2005	वर्ष 2011
1	उत्तरप्रदेश	242	242	153
2	महाराष्ट्र	187	187	51
3	बिहार	183	150	179
4	गुजरात	166	166	61
5	पश्चिम बंगाल	152	119	109
6	राजस्थान	83	83	83
7	कर्नाटक	93	93	87
8	मध्यप्रदेश	85	66	84
9	आंध्रप्रदेश	86	87	108
10	ओडिशा	72	41	35
कुल		1734	1562	1192

भारत में राज्यवार कार्यरत पारिवारिक न्यायालयों की सूची (31.10.2014 को जारी)

क्र.सं	राज्य	पारिवारिक न्यायालयों की संख्या
1	बिहार	33
2	मध्यप्रदेश	31
3	केरल	28
4	राजस्थान	28
5	आंध्रप्रदेश. तेलंगाना	27
6	महाराष्ट्र	25
7	ओडिशा	17
8	गुजरात	17
9	दिल्ली	15
10	**कुल**	**410**

पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। देश में 763 फैमिली कोर्ट कार्य कर रहे है।

राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला पुलिस, अधिकारियों व महिला पुलिस थाने, फास्ट ट्रेक अदालतें, पारिवारिक न्यायालय जैसे अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है, परन्तु महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कुछ मूलभूत प्रश्नों की ओर हमें अभी भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। औरतों के अधिकारों के प्रति उदासीनता पर समाज को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

विश्व में 125 से भी अधिक देशों में घरेलू हिंसा को गैर कानूनी घोषित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा को रोकने हेतु अनवरत् प्रयास किये गए। विभिन्न अधिनियम पारित करके महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया। **इनमें –**

1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम– 1929

2 हिन्दू महिलाओं के सम्पति के अधिकार अधिनियम –1937

3 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम– 1954

4 हिन्दू विवाह अधिनियम– 1955

5 प्रसव लाभ अधिनियम –1961

6 दहेज प्रतिबंध अधिनियम –1961

7 गर्भवती उपचार अधिनियम– 1971

8 समान पारिश्रमिक अधिनियम –1976

9 बाल विवाह निषेध अधिनियम– 1976

10 स्त्री अपशिष्ट निरूपण अधिनियम –1986

11 सती निषेध अधिनियम– 1987

12 प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम –1994

13 भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001

14 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम –2005

15 उत्तराधिकार संशोधन कानून– 2005

16 महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकथाम प्रतिषेध निवारण विधेयक– 2012

17 महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक– 2013

घरेलू हिंसा अधिनियम– 2005 के तहत किये गये प्रावधानः–

निसंदेह महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस ,व्यावहारिक व प्रभावी कदम साबित होगा। इस कानून के माध्यम से घरेलू महिलाओं को हिंसा, अत्याचार व उत्पीडन से सुरक्षा मिलेगी। इस कानून के तहत् शारीरिक , भावनात्मक व आर्थिक शोषण, धमकी, गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, अपमान करना, बच्चा नहीं होने पर, दहेज के लिए प्रताडित करना आदि घरेलू हिंसा की परिधि में समावेशित किये गये है। इस कानून के द्वारा ऐसी महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की गई है जो बिना विवाह बंधन के किसी पुरूष के साथ रह रही है। इस कानून के तहत् महिलाओं से ऊंची आवाज में बोलने, ताने मारने, व्यंग्य करने तक को अपराध की श्रेणी में माना गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को गैर जमानती अपराध मानते हुए 1 वर्ष की सजा या 20 हजार रूपये जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं की आर्थिक व वित्तीय आवष्यकताओं की परिपूर्ति नहीं करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत् किसी भी हालत में घरेलू महिला को घर से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये अधिनियम महिलाओं को अत्याचार व प्रताडना के विरूद्ध सशक्त संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम को लागू करने से लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है।

इस कानून को 5 भागों में बांटा गया है।

1. प्रथम अध्याय में मुख्य बातों को पारिभाषित किया गया है।
2. द्वितीय अध्याय में में घरेलू हिंसा सम्बन्धी विशेष वर्णन व इससे सम्बन्धित विविध पहलुओं की व्यवस्था की गई है।
3. तीसरे अध्याय में सुरक्षा अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं के अधिकारों व कर्तव्यों का उल्लेख है।
4. चतुर्थ अध्याय में प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों की विस्तृत व्याख्या की गई है।
5. पंचम में दण्ड अपराध व सुरक्षाकर्मियों व सेवा प्रदाताओं की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

यही नहीं इस कानून के अन्तर्गत सेवा प्रदाता (धारा 10) का भी प्रावधान किया गया है। जो कोई भी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संगठन हो सकती है, जो चिकित्सा कानूनी व वित्तीय सहायता जैसे तरीके द्वारा महिलाओं के अधिकारो की रक्षा के उद्देष्य से स्थापित हो तथा संस्था व कम्पनी राज्य सरकार के पास पंजीकृत हो।

इस अधिनियम के तहत् घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैः–

- धारा–5 के अधीन उन अधिकारों व अनुतोष के बारे में जानने, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- धारा–18 के अधीन घरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और अपने बच्चों के लिए संरक्षण प्राप्त करना।
- धारा–18 के अधीन अपने स्त्रीधन, गहने, कपडे और दैनिक उपभोग की वस्तुएं व अन्य घरेलू सामान वापस कब्जे में लेना।
- धारा– 6,7,914 के तहत् चिकित्सा सहायता, आश्रय, परामर्श व विधिक सहायता प्राप्त करना।
- धारा–22 के अधीन घरेलू हिंसा के कारण हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षति या अन्य आर्थिक नुकसान के लिए प्रतिकर ।
- धारा– 12,18,19,21,22,23 के अधीन षिकायत करने या किसी न्यायालय में सीधे ही अनुतोष के लिए आवेदन करना।

- किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेना।
- धारा–18 के तहत् न्यायालय की अनुज्ञा के बिना संयुक्त बैंक खाते या लॉकरो का प्रचालन ना करने के लिए आदेश प्राप्त करना।
- धारा–19 के तहत् घर में शांतिपूर्वक निवास करने तथा जिस घर में आप रह रही है, उस पर कोई ऋण न लेने या मकान बेचने से रोकने के संबंध में आदेश प्राप्त करना।
- धारा–18 के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्तियों को उनसे सम्पर्क तथा पत्र व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

घरेलू हिंसा से ग्रस्त महिलाएं किसी खतरे, संकट या विपदा से निपटने हेतु पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा सम्बन्धित विविध मामलों से पीडित महिलाएं संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता आदि की सेवा व सहायता प्राप्त कर सकती है।

ये अधिनियम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से ही रूढिवादी, संकीर्ण व अन्धविश्वासी समाज को आधुनिक व प्रगृतिशील समाज में परिवर्तित करना सम्भव हो पाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस कानून के जरिए दादी, नानी, बहन, बेटी, पत्नी, यहां तक कि नौकरानी को भी कानून सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आवेदन पत्र पर तीन दिन के भीतर विचार किया जाये तथा 60 दिन के भीतर उसके बारे में फैसला सुना दिया जाये। यह कानून दीवानी व फौजदारी दोनों मामलों में पीडित महिलाओं को राहत प्रदान करते हुए महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबन्ध करता है। यही नहीं इस कानून के तहत् महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दण्डनीय व गैर जमानती अपराध मानते हुए इसे प्रभावी सशक्त बनाने की दिषा में कदम उठाया गया है। निष्चित रूप से यह अधिनियम रूढिवादी, अन्धविश्वासी एवं पर्दाप्रथा आदि परम्परागत बन्धनों में जकडी महिलाएं हिम्मत व साहस का परिचय देते हुए घरेलू हिंसा की घटनाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालें उन्हें आवाज प्रदान करें। महिलाओं की सिसकियां घर की चार दीवारी में दम तोड देती है। पारिवारिक विघटन का भय, बच्चों की जिम्मेदारियां व भविष्य, समाज में बदनामी का खौंफ ऐसे तत्व है, जो महिलाओं को मौन कर देते है, मौन रह कर जुल्म सहना या परिवार तोडना, महिलाएं इसी विवशता व असमंजस के भंवर के जाल में फंसी रहती है। ससुराल और पीहर पक्ष पीडित महिला को शिकायत न दर्ज करवाने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते है ताकि पीडित महिला समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुऐ घरेलू हिंसा का दंश चुपचाप झेलती रहे।

26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी न किसी रिश्ते में बंधी स्त्री शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताडना की स्थिति में अदालत की शरण लेती है तो पुलिस मनमानेपन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकती है। यह कानून एक विधवा स्त्री के जीवन की सुरक्षा की गांरटी देता है। इस कानून के सहारे महिलाएं कुछ सशक्त हुई है अब उन्हें पारिवारिक औरत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन फरवरी 2013 में भारतीयदंडसहिता के अन्तर्गत अलग अपराधी श्रेणी 326ए और 326बी में रखा गया है। इसके तहत् पीडिता को अपनी रक्षा के अधिकार के तहत् हमलावर को जान से मारने का भी अधिकार दिया गया है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में बलात्कार जैसे अपराधों में अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है ताकि महिलाओं के प्रति अपराधों मे कमी आए, मगर कहीं न कहीं समन्वय और तालमेल की कमी से अक्सर अपराधी छूट जाते है।

<u>घरेलू हिंसा को रोकने में पुलिस की भूमिका</u>:–घरेलू हिंसा से संबंधित घटनाओं में अधिकांशतः यह देखा गया है कि पीडिताएं अपने प्रति किये जाने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाती है। जिसका कारण सामाजिक भय तथा पुलिस का डर रहता है। इसके अलावा वह पुलिस को पूरा सहयोग भी नहीं कर पाती है। वह घटित घटना के बारे में सही बयान तथा पुलिस द्वारा पूछे गये सवालों का जबाव सही रूप में नही देती इससे पुलिस को अपराधी के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती और अन्वेषण में भी कठिनाइयॉ आती है क्योंकि सारा केस पीडित के बयान पर ही आधारित होता है। यदि पीडिता ही बार–बार बयान बदलती है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बचने के अधिक अवसर मिल जाते है, यह भी देखा गया है कि महिलाएं पीहर या ससुराल पक्ष की सलाह या दबाव के कारण ही मुकदमें दर्ज करवाती है। अधिकांषतः पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस का व्यवहार उपेक्षापूर्ण और नकारात्मक दृष्टिकोण का होता है वह केस की तहकीकात ठीक ढंग से नहीं करते है या इसमें अधिक समय लगाते है। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार ही अन्वेषण और अनुसंधान कार्यवाही करनी होती है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि पुलिस स्टाफ कम होने के या इमरजेंसी आने पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस प्रबन्ध में ड्यूटी देनी पडती है। जिसके कारण कई बार कार्यवाही में विलम्ब भी हो जाता है। कई बार पीडिता को

मुकदमा दर्ज करवाने के बाद धमकियां, समझौता, प्रलोभन और दबाव से भी पुलिस को अवगत नहीं करवाया जाता, जब तक पीडिता स्वयं पुलिस का सहयोग नहीं करेगी पुलिस उचित कार्यवाही नहीं कर सकती है।
पीडिताओं को क्यों गैर जरूरी, लंबी पुलिस व अदालती कार्यवाही से होकर गुजरना पडता है। जबकि उनकी कोई गलती नहीं, सिवाय इसके कि वे औरतें है। पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जुल्म, अत्याचार की शिकार महिला को घंटे बैठना पडता है। पुलिस थानों में यह नहीं देखा जाता कि पीडिता पर क्या गुजर रही है। पुलिस की पूछताछ व मेडिकल जांच से उसे गुजरना पडता है। सालों पुरानी इसी प्रक्रिया के कारण महिलाएं शोषण, यातना, अत्याचार सहने के बावजूद रिपोर्ट नहीं लिखवाती है। मेडिकल जांच किस बेरहमी व अमानवीय तरीके से की जाती है। यह बात भी किसी सबूत की मोहताज नहीं है। बलात्कार, हिंसक लूट, छेडखानी, अत्याचार इन सभी की शिकार महिलाओं को रिपोर्ट लिखवाने के लिए घंटों बैठना पडता है। यह उनकी मानसिक यंत्रणाओं को बढाने वाली बात है।
वीरों की भूमि और बहादुरों के देश में मर्द लुटती युवती को देख कर दुबक जाते है। देश की कानून व्यवस्था और असुरक्षित माहौल को मात्र कोस कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते है। यदि बुजदिली छोडकर पीडित महिला की मदद करे तो उसे सुरक्षा मिल सकती है। सामाजिक सरोकारों व नैतिक जिम्मेदारियों की बाते करके महिलाओं को पुलिस व अदालत के चक्कर में पड वक्त व पैसा बर्बाद करने के बजाए जागरूक बुद्विजीवी बनना है।
देश में पहली बार 14 दिसम्बर 2017 को हरियाणा सरकार द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरूआत की गई है इसके तहत् 1000 महिला पुलिस स्वयंसेवी नियुक्त की गई है ताकि पुलिस और समुदाय के मध्य एक समन्वय बनाते हुए हर ग्राम पंचायत पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए।
देशभर में आज भी महिला पुलिस फोर्स में पुरूषों के मुकाबले 7 प्रतिशत महिलाएं ही कार्यरत् है। ऐसे में अक्सर महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत करने में संकोच और लाज महसूस करती है। निसंदेह यह व्यवहारिक दिक्कत भी है। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अलवर गैंगरेप मामलें के बाद 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए है इसमें महिलाओं के अपराधों के लिए अलग से डीएसपी की नियुक्ति करना और महिलाओं की एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रत्येक जिले में एसपी की व्यवस्था की गई है। यदि थाना प्रभारी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो एसपी स्तर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और थाना प्रभारी से इस संबंध में जबाव तलब भी किया जाएगा।
केन्द्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए राज्य सरकारों को पुलिस बलों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया। केन्द्र शासित प्रदेशों में यह कदम सरकार पहले ही उठा चुकी है। नीति आयोग ने भी कम से कम 30 प्रतिशत पदों पर सरकार से महिला पुलिसकर्मी की भर्ती की सिफारिश की है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छा प्रयास भी किया है। घरेलू हिंसा हो या दुष्कर्म का मामला पीडिता को इंसाफ के लिए भटकना न पडे इस हेतु वन स्टॉप सेंटर में पीडिता की काउंसिलिंग, रिपोर्ट दर्ज कराने, कानूनी सलाह समेत रहने खाने की व्यवस्था हेतु 1 अप्रेल 2015 से यह स्कीम कार्यान्वित की गई है। पहले चरण में प्रति राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश में एक सेंटर स्वीकृत किया गया, साथ ही 2016–2017 में दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की गई। आधी आबादी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन रखी गई। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, तकनीक, स्वयंसेवी महिला पुलिस, और समाज की इच्छा शक्ति जो बदलाव लाना चाहती है, वह मात्र कागजों, भाषणों, चुनावी घोषणाओं और कानून बना देने मात्र से नहीं होगा बल्कि वास्तविकता के धरातल पर भी इसे लागू करना होगा।

<u>पुलिस से संबंधित महिलाओं को प्राप्त अधिकारः–</u>

पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, इसलिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिये गये है, परन्तु इन अधिकारों का पुलिस दुरूपयोग न करें इसलिए महिलाओं को ये जानना आवष्यक है।

1. <u>गिरफ्तारी के समय महिलाओं को प्राप्त अधिकार</u>

- आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए।
- यह बताना भी आवश्यक है कि आपका जुर्म क्या है। पुलिस का यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। जुर्म बताना भी आवश्यक है।
- कुछ अपराधों के लिए वारंट बताना जरूरी नहीं है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
- आप किसी वकील को बुलाकर कानूनी सलाह भी ले सकती है।
- गिरफ्तारी के समय जोर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है।
- गिरफ्तारी के समय हथकडी लगाना गैर कानूनी है।
- गिरफ्तारी के बाद तुरंत पुलिस को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी।
- गिरफ्तार की गई महिला को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी है।

- मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पडे तो थाने पर गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवार जन को थाने में मौजूद रहना चाहिये।
- महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस ही कर सकती है।

2. <u>**पूछताछ के समय महिलाओं को प्राप्त अधिकार**</u>

- पूछताछ के लिए आपको थाने में या कहीं और बुलाये जाने पर आप इन्कार कर सकती है। आप से पूछताछ घर पर अथवा आपके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जायेगी।
- बिना पढे या बिना जाने आप किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत न करे।
- पुलिस के सामने हुआ इकरार या बयान अदालत में अमान्य है।
- मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया गया जुर्म मान्य है, किन्तु वह पुलिस के दबाव में न हो।
- जो पुलिस अधिकारी पूछताछ में शामिल है, उसका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये।
- 15 साल से कम उम्र की किसी भी महिला को थाने मे या अन्यत्र कहीं पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।

3. <u>**तलाशी के समय महिलाओं को प्राप्त अधिकार**</u>

- महिला के शारीरिक तलाशी महिला पुलिस ही ले सकती है।
- पुरूष पुलिस द्वारा मात्र सामान, मकान, दुकान, या सम्पति की तलाशी ली जा सकती है।
- तलाशी के लिए हमेशा वारंट की आवश्यकता नहीं होती है।
- तलाशी के पहले आप तलाशी लेने वाली की तलाशी ले सकती है।
- तलाशी का एक पंचनामा बनाना जरूरी है जिसमें जब्त की गई वस्तु का विवरण होना चाहिये तथा इस पंचनामे पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी होने चाहिये, जो तलाशी के समय मौजूद है। इस पंचनामे की एक प्रति आप भी प्राप्त कर सकती है।

<u>**4.प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) के दौरान की जाने वाली कार्यवाहीः–**</u>

- यह रिपोर्ट मौखिक या लिखित हो सकती है।
- यदि आप अनपढ है तो आपके बताये अनुसार पुलिस लिखेगी फिर पढकर सुनाएगी। यदि आपको सही लगे तभी आप उस पर अंगूठा लगाये या दस्तख्त करें और यदि ठीक न लगे तो दुबारा से लिखवायें।
- रिपोर्ट लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं है आप जैसे चाहे लिखकर दे सकती है।
- रिपोर्ट में समस्त आवश्यक जानकारी होनी चाहिये। जैसे नाम, पता, अपराधी का नाम, पता, हुलिया, अपराध की जानकारी, स्थान, और घटित घटना इत्यादि।
- एफ.आई.आर की एक प्रति पुलिस से अवश्य ले लें, यह आपका हक है।
- अपनी सुरक्षा के लिए रिपोर्ट लिखवाते समय कुछ जान पहचान के व्यक्तियों को अवश्य ले जाएं।

<u>**एफ.आई.आर के दौरान महिलाओं को प्राप्त अधिकार**</u>

- पुलिस द्वारा आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये।
- एफ.आई.आर को स्वयं पढे या किसी से पढवाने के बाद ही इस पर हस्ताक्षर करें।
- पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने पर आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट की मदद लें।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करें।

- **पुलिस की चिन्तनीय स्थिति**
- परन्तु सर्वे में यह पाया गया कि पुलिस का व्यवहार पीडिता के प्रति उपेक्षात्मक व नकारात्मक रहता है।
- पुलिस केवल 35 प्रतिशत अपराधियों को ही पकडने मे सफल हो पाती है। 65 प्रतिषत अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बच जाते है।
- 65–70 प्रतिशत महिलाएं पुलिस कार्यवाही से असन्तुष्ट है।
- 65–70 प्रतिशत पीडिताओं का यह कहना है कि पुलिस रिष्वत व पहुंच के आधार पर भी कार्य करती है।
- 65–70 प्रतिशत पीडिताओं को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पश्चाताप हुआ।

- 75 से 80 प्रतिशत पीडिताओं का मानना है कि उनके प्रति हुए अत्याचारों को विरूद्व रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज की जाती है, जिससे अपराधियों को पकडने में पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पडता है। अधिकांषतः यह देखा गया कि पीडिताएं अपने प्रति हुये अत्याचारों के विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन स्वेच्छा से नहीं जाती है।

कई बार पुलिस की लापरवाही भी ऐसी घटनाओं पर नाकामयाब दिखाई देती है। ऐसी घटनाओं को देखने के बाद यह लगता है कि थानों में बैठी पुलिस किसकी मदद कर रही है। शायद गरीब या असहाय या पीडिताओं की तो नहीं, पुलिस का हाल यह है कि वह न तो वारदातें रोक पा रही है ना पीडितों की मदद कर पा रही है और न ही इन्हें इंसाफ दिला पा रही है। लोक अभियोजक को पुलिस अधीक्षक को यह कहना पडा कि उनके विभाग का रवैया न्याय दिलाने वाला नहीं है। केवल पुलिस ही नहीं अपितु जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले सांसद और विधायक महिला सुरक्षा के इस बिगडते हालात पर कुछ भी नहीं कर पा रहे है। सीकर जिले में वर्ष 2011 में 50 मामलें 2012 में 55 मामलें 2013 में 73 मामलें 2014 में 79 मामलें और 2015 में अब तक 57 मामलें पुलिस के सामने आये है, जो बालिकाओं की सुरक्षा पर सवालिया चिन्ह है। प्रतिवर्ष दुष्कर्म के मामले निरन्तर बढते ही जा रहे है।

- कानून की सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक लडाई मुख्य रूप से पुलिस के लिए सिरदर्द सिद्ध होती हैं। संविधान, न्यायपालिका और जनमत के त्रिकोण के बीच में फंसी पुलिस चाहकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है, न हीं दूसरा पक्ष पुलिस दुविधा को समझने का प्रयास करता है।
- पुलिस व्यवस्था की सैद्धांतिक अवधारणाओं में सुधार एवं परिवर्तन किये जाने चाहिए। जो देश, काल, समाज व व्यक्तियों द्वारा अनुकूल व्यावहारिक अवधारणाओं पर आधारित हो। सैद्धांतिक अवधारणाएं आदर्षात्मक परिस्थितियों के निर्माण की कल्पना करती है, जो मानवीय व्यवहार की जटिलता व अस्थिरता में संभव नहीं होती। उदाहरण उत्तरी भारत में बाल विवाह निरोधक कानून एक नितान्त सैद्धांतिक कानून है, परन्तु उसकी व्यावहारिकता लगभग शून्य है। यदि विवाह पंजीकरण अनिवार्य शर्त कर दे तो कुछ वर्षो में बाल विवाह पर अंकुश लग जायेगा। यदि विवाह पंजीयन में वर वधु की आयु सहित राशन कार्ड तथा सम्पति के कई विवरण बाध्य करेंगे, तो बाल विवाह पर रोक लगाई जा सकती है।
- जाति पर आधारित समस्याएं, महिलाओं की परिस्थितियां, पिछडे वर्गो की सामाजिक, आर्थिक विषमताओं व अन्य असहाय व्यक्तियों के कल्याण हेतु भारत में बहुत से कानून प्रवर्तित है पर फिर भी सामाजिक समस्याएं नियंत्रित नहीं हो पा रही है।
- गृहविभाग का मानवाधिकार प्रकोष्ठ, राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ सम्बद्व है। जिसमें महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी भी पदस्थापित है 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया। राज्य महिला आयोग के साथ महिला पुलिस थानों को भी सम्बद्व किया गया है। राजस्थान में पहला महिला थाना गांधीनगर, जयपुर में 8 मई 1989 को खोला गया। राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा ने अपराधियों का पता लगाने तथा खुफिया सूचनायें एकत्र करने हेतु क्राईम पुलिस हेल्पलाइन भी 1 जुलाई 2000 से शुरू की गई। जिसमें कोई भी व्यक्ति टेलीफोन नं. 1090 पर मुफ्त कॉल करके पुलिस को अपराधों की सूचना दे सकता है।
- महिलाओं को ऑनलाइन षिकायत दर्ज करवाने की सुविधा राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई सुगम समाधान, सम्पर्क राजस्थान, राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाईट पर महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती है।

  www.sugamrpg.raj.nic.in
  www.sampark.rajasthan.gov.in
  www.rscw.rajasthan.gov.in/onlinecomplaints.aspx
  www. ncw.nic.in/onlinecomplaintsvz/frmcomplaints.aspx

  फेसबुक महिलाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार का हेल्पलाइन नम्बर 1091 एवं 1090 है। राज्य सरकारों व जिला प्रशासन की ओर से भी कई फेसबुक अकाउन्ट जारी किये गये है। असुरक्षित महसूस करने पर महिलाएं इस नम्बर पर सूचना दे सकती है। राजस्थान में गरिमा हेल्पलाइन नम्बर 7891091111 और 181 है।

  व्हाट्सएप महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से व्हाट्सएप नम्बर दिये गये है। राजस्थान में 8764868100 व 8764868200 है।

  सोशल मीडिया मददगार– पुलिस अधिकारी ट्वीटर पर भी शिकायत ले सकते है।

<u>महिला पुलिस की भूमिकाः–</u>

2015 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला पुलिस थाने

क्र.सं	राज्य	महिला पुलिस थाने (संख्या)
1	तमिलनाडु	196
2	उत्तरप्रदेश	71
3	आंध्रप्रदेश	32
4	गुजरात	31
5	राजस्थान	24
6	झारखण्ड	22
7	मध्यप्रदेश	09
8	पंजाब	05
9	छत्तीसगढ	04
10	हरियाणा	02

देश में डीजीपी, स्पेशल डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी स्तर की कुल 96 महिला अधिकारी वर्तमान में कार्यरत् है। अधिकारी से लेकर हेड कांस्टेबल तक में 2021 तक 2,17,026 महिलाओं की संख्या है। जो कुल पुलिस अधिकारियों का मात्र 10.5 प्रतिशत है। गृह मंत्रालय के अनुसार मिलिट्री फोर्स में 9,118 महिलाएं वर्तमान में है। जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल व असम राईफल्स की कुल संख्या बल 9.8 लाख है। इनमें महिलाएं मात्र 5.33 प्रतिषत हैं। भारत में 518 पुलिस थानों की स्थापना के बाबजूद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 23 प्रतिरूात की वृद्धि हुई है। 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में सभी पुलिस स्टेशनों के क्रियान्वयन का लिंग आधारित हिंसा के पीडितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

अरूणाचल प्रदेश प्रथम व हरियाणा देश का दूसरा राज्य होगा, जहां सभी जिलों में महिला थाने हैं। हरियाणा में सभी 21 जिलों में एक–एक महिला थाने की शुरूआत 28 अगस्त 2015 रक्षाबंधन के अवसर पर की गई। महिलाओं से जुडे विशेष अपराधों की जांच केवल महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी करेंगी। इसका उद्‌देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना व पुलिस प्रताडना व अत्याचारों से बचाना है।

हरियाणा सिविल सचिवालय के पुलिस महानिदेशक यषपाल सिंघल ने बताया कि महानिरीक्षकों व अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए महिला थाने स्थापित कर तैयारी की समीक्षा की। उन्होनें महिला पुलिस थानों में परामर्ष केन्द्र खोलने के भी निर्देश दिए, ताकि पारिवारिक झगडों को अदालतों में ले जाने के बजाय उन्हें आपसी सुलह से निपटाने के प्रयास किये जा सके, उन्होनें सीएम विंडो आने वाली हर तरह की शिकायतों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में बाल विवाह, दहेज हिंसा, महिला उत्पीडन, विधवाओं पर अत्याचार आदि में एफआईआर से लेकर समस्त पुलिस कार्यवाही महिला पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि महिला पुलिस पीडिता का दर्द व यातनाओं को ज्यादा भलीभाति समझ सकती है। पुरूष प्रधान समाज में पुरूष पुलिस का व्यवहार पीडिता के प्रति अमानवीय व असंवेदनशील रहता है वह सारे मामलें का उत्तरदायी महिलाओं को ठहराते है और उन्हें समझौता करने समझाने बुझाने के लिए दबाव बनाते है। महिला पुलिस थाने, महिला पुलिस अधिकारी व महिला न्यायाधीशों के द्वारा महिला हिंसा संबंधी मामलों की जांच पडताल व सुनवाई हो ताकि पीडिता का समय पर व सही न्याय मिल सके।

अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिये और आरोपों की समय रहते जांच की जाये। निर्दोषों को ज्यादा दिन तक आरोपों का कलंक ना ढोना पडे। सरकार की नाकामयाबी को नकारा नहीं जा सकता भारत में बालिका यौन उत्पीडन को न केवल पुलिस वाले अविश्वास की नजर से देखते है बल्कि मेडिकल परीक्षण के दौरान भी उन्हें अपमानित होना पडता है। हमारे देश में यौन उत्पीडन के खिलाफ प्रशासन तंत्र उपयुक्त नहीं है पुलिस मीडिया मेडिकल स्टाफ प्रशासनिक अधिकारी मुकदमों को खारिज करने में रहते है, ऐसे बुरे वक्त से बच्चे गुजरते है तो उन्हें परिवार की मानसिक प्रताडना भी झेलनी पडती है। पुलिस को पीडिता के प्रति संवेदनशीलता मददगार बनने से संबंधित आवश्यक सुधार करने चाहिये। आज पूरी दुनिया के समक्ष बाल यौन उत्पीडन एक बडी चुनौती है, जरूरत है कि अभिभावक बच्चों के साथ संवाद बनाये रखे।

इसे रोकने के लिए प्रत्येक जिले मे महिला सुरक्षा क्राईम प्रोटेक्शन सेन्टर बनाये जाने चाहिये। यह सुविधा केवल राजधानी और बडे शहरों मे ही है। शहरों मे महिलाएं अपने हक के लिए लड लेती है, पर गांव में अधिकतर महिलाएं शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी कई बार सोचती है। अतःगावों तक महिला थानों की संख्या बढाई जानी चाहिये।

महिला पुलिस की आवश्यकता से संबंधित तर्कः–

- घरेलू हिंसा को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती। धारा 498 (ए) के तहत् काफी अधिकार प्राप्त है, पर पुलिस की संवेदनशीलता व मानसिकता में बदलाव नहीं आया है।
- अभी भी घरेलू हिंसा के कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती बल्कि रोजनामचे मे ही लिख लिया जाता है। आंकडे बढ जाएंगे, अतः केस दर्ज नहीं होते है, गांव की औरतों को एफआईआर की प्रति भी नहीं दी जाती है।
- पति द्वारा पीटना, मानसिक यंत्रणा देने को पुलिस गंभीर मुद्दा नहीं मानती, उनके अनुसार पति या ससुराल में मारा–पीटा गया तो क्या बात है, उन्हें शारीरिक चोट भी गंभीर समस्या नहीं लगती।
- पुलिस 498(ए) के मामलों में बिना प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती है, पुलिस वाले पैसे लेकर औरतों को समझौते के लिए मजबूर करते है ताकि केस कमजोर बन जाएं। समझौते में न तो घटना का विवरण होता है और न ही ऐसी बाध्यता कि पति भविष्य में उसे प्रताडित नहीं करेगा।
- डायन प्रथा, नाता, विधवाओं पर अत्याचार आदि मानसिक यंत्रणाओं के मुद्दे पर पुलिस तंत्र असंवेदनशील है। पुलिस इसे सामाजिक मुद्दा बताकर अपने दायित्वो से मुंह मोड लेती है।
- वर्तमान में हर पुलिस थाने पर कम से कम एक या दो महिला पुलिस अधिकारी लगाये तो गये है, पर अधिकांशतः पुरूष पुलिस का ही बहुमत होने से उनकी आवाज दब जाती है, वे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की अधिक मदद नहीं कर पाती है।
- कई बार महिला पुलिस का भी शोषण होता है ।
- पुलिस का मानना है कि घरेलू हिंसा के काफी मामले झूठे होते है।

सुझावः–घरेलू हिंसा विधेयक महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण, यातना, दुर्व्यवहार, भेदभाव, क्रूरता को रोकने में तभी सफल व सार्थक भूमिका निभा सकता है, लेकिन जब घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाएं आवाज उठाने की ताकत जुटा सके। वह अपनी सिसकियां व चीखों को मजबूत स्वयं के रूप में कानून व न्यायालय के समक्ष समझा सके। यदि महिलाएं घरेलू हिंसा का विषपान मूकदर्शक बनकर सहती रहेंगी तो हिंसा का ये कहर बढता ही जायेगा। षीना बोरा हत्याकाण्ड, नैना साहनी तंदूर काण्ड, षिवानी भटनागर यौन शोषण काण्ड, जयपुर का जे.सी बोस छात्रावास काण्ड, अंजना मिश्रा काण्ड, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में घटित बलात्कार काण्ड, तेजाब काण्ड, महिला को डायन बताना, मारना जैसी घटनाएं, महिला उत्पीडन व हिंसा के ज्वलंत उदाहरण है, जिसे रोकने के लिए महिला को खुद कमर कसकर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत् दोषी पक्ष को कठोर सजा दिलवाने का प्रयास करना है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
देश के सर्वांगीण व तीव्र विकास करने हेतु आवश्यक है कि समाज के आधे वर्ग को प्रताडित करने के स्थान पर उन्हे प्रोत्साहित, संरक्षित किया जावे ताकि विकास प्रक्रिया में उनकी प्रभावी सहभागिता सुनिष्चित हो सके।

1 महिलाओं के प्रति पुरूषों की सोच मनोभाव व मानसिकता मे परिर्वतन किया जाना चाहिए। पुरूष वर्ग महिलाओं को अपना प्रतिद्वंदी न समझकर सहयोगी समझते हुए विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

2 पारिवारिक न्यायालयों को सुदृढ व अधिक प्रभावी बनाकर विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि हिंसा के विस्तार को रोका जा सके।

3 महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों व कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी समाचार पत्रों संचार व प्रचार माध्यमों से दी जाए ताकि वे घरेलू हिंसा के अभिषाप से मुक्त हो सके।

4 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार कर उन्हे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएं क्योंकि जब वे अपने पैरो पर खडी होगी तभी महिला हिंसा को कम किया जा सकेगा।

5 घरेलू हिंसा अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाएं।

6 स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन भी प्रभावी भूमिका निभाकर पीडित महिला की सहायता कर सकते है।

7 कई पीडित महिलाएं धनाभाव के कारण कानून की शरण नहीं ले पाती, उन्हे निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाए।

8 पुलिस व प्रशासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करे ,न्यायालयों में महिला न्यायधीशों द्वारा मुकदमों की सुनवाई की जावे।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिये शैक्षणिक स्तर पर लागू किये जाने वाले उपाय

विधार्थियों के साथ घरेलू हिंसा (घर में होने वाले भेदभाव) आदि विषयों पर स्कूल, कॉलेजों में व्यवस्थित तरीके से बातचीत शुरू की जानी चाहिए। इसके लिए काउंसिलिंग सेल होने चाहिए ताकि इस उम्र की लडकियों के साथ हो रही घरेलू हिंसा पर बातचीत करके समाधान खोजा जा सके।

- 14 वर्ष से कम उम्र के लडके–लडकियों से काम करवाने पर रोक लगाने हेतु बाल अपराध घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हितो की रक्षार्थ विशाखा गाइडलाइन्स बनाई गई है। घर में या बाहर छोटी–छोटी बालिकाओं का यौन शोषण होता है, इसके लिए सशक्त कानून बनाया जाएं।
- 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6–14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य षिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के साथ–साथ लडकियों में आत्मविश्वास भी पैदा किया जाएं। शिक्षा का उद्देश्य सषक्त महिला का निर्माण करना होना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास पैदा करना और अन्याय का मुकाबला करने की ताकत देना, नई शिक्षा नीति व शिक्षक का दायित्व होना चाहिए।
- लडकियों को हर हालात में स्वावलंबी बनने का प्रशिक्षण देना जरूरी है। अभी तक सोच केवल लडकियों के विवाह करने तक ही सीमित है, इसे बदलना होगा और लडकियों को भी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक जैसे दायित्वों की तरफ मोडना होगा। भारत सरकार द्वारा अनु0 23 के अनुसार नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उन्हें शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार दिया गया है ताकि वैश्यावृत्ति, भीख मांगने, ट्रेफिंकिग आदि के लिए मजबूर करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
- सम्पत्ति में लडकियों का पूरा हक होना चाहिए। इसके लिए घर के वातावरण को बदलने की आवष्यकता है। 2005 में उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके बेटियों को भी पैत्रृक सम्पति में बेटों के समान अधिकार प्रदान किया गया है।
- 2004–2005 से लिंग आधारित बजट का शुभारंभ करके बजट में लैंगिक भेद को दूर किया गया है। वर्तमान समय में 56 मंत्रालयों और विभागों में लिंग आधारित बजट इकाइयों का शुभारंभ किया गया है।
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975–1985) के दौरान महिलाओं के प्रति हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, दहेज हत्या जैसे मामलों में बढोत्तरी हुई जिनके खिलाफ महिला संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया। नारी कल्याण हेतु स्वावलम्बन योजना, स्वाधार योजना, कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा 2006 में महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। स्वाधार–गृह योजना कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए तथा उनके जीवनयापन एवं पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से 2001–2 में षुरू की गई। इस योजना का लाभ घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव अथवा विवाद की षिकार महिलाएं, जिन्हे गुजारे के लिए कोई साधन दिए बिना घर से निकाल दिया हो, एक वर्ष तक रह सकती है और 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं अधिकतम पाचं वर्ष तक रह सकती है,इसके बाद उन्हें वृद्वाश्रम में भेज दिया जाता है।
- पुरूषों के साथ–साथ लडकों को भी काम करने की आदत विकसित की जाए, उनका पालन पोषण अलग तरीके से ना हो, ताकि घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को वह गंभीरता से समझ सके।

<u>समुदाय स्तर पर</u> : –घरेलू हिंसा का निवारण समुदाय स्तर पर भी होना चाहिए। महिला समूह या संगठन को मजबूत बनाया जाए। गांव की औरतें बैठक बुलाकर इस तरह की समस्याओं को समाधान खोजें। समुदाय और पंचायतों को वैधानिक अधिकार दिये जाये। कोर्ट, पुलिस तक गंभीर मामलें ही पहुंचे।

<u>जिला सहायता समितियों के माध्यम से</u>:– इन समितियों में पुलिस अधिकारी एवं महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन होने चाहिए। महिला आयोग इनकी समय समय पर समीक्षा करे कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं ।

1. पुलिस की भूमिका को काफी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इनके प्रशिक्षण मे घरेलू हिंसा व महिला संवेदनशीलता को विशेष रूप से शामिल किया जाएं।
2. प्रत्येक थाने पर समस्या समाधान शिविर हर महीने आयोजित किये जाए और इनकी जानकारी के लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इनका दिन, समय और स्थान अखबार, रेडियों या दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाए।

3. थाना स्तर पर काउन्सलर हो, खासतौर पर घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस जब समझौता कराती है, तो प्रशिक्षित काउन्सलर की मदद ली जाए।
4. महिला आयोग को महिला हिंसा के संबंध में संदेश समय पर मिलने चाहिए, ताकि वह अपने निर्णयों को सरकार से दबाव पूर्वक मनवा सके।

अन्य सुझावः–

1. अल्पवास गृह जगह–जगह होने चाहिए, जिनमें मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सेवाएं जुडी हो।
2. पंचायतों में पांच स्टेण्डिंग कमेटियों का प्रावधान है। ये कमेटियां घरेलू हिंसा के मामलों व महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर विचार करे।
3. कोर्ट के फैसले नियत समय पर होना चाहिए।
4. घरेलू हिंसा के संबंध में जगह–जगह जन अदालतें लगनी चाहिए।
5. घरेलू हिंसा पर न्यायिक फैसलें सरल भाषा में व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है।
6. हर महीने थाने पर ऐसा दिन निश्चित हो, जब कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सके।

निष्कर्षः

- समाज, सरकार, प्रशाासन, पुलिस, संसद और मीडिया के माध्यम से जन–जन तक हमारी आवाज पहुंचे । महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जनजागरूकता व सजगता आये यही हमारा प्रयास है। इससे एक सार्थक, ठोस, व्यवहारिक व नीतिगत दिशा प्रदान करना व समाज में प्रचलित रूढिवादी प्रथाएं, अंधविश्वास, नकारात्मक सोच को बदलकर महिला वर्ग को पुरूष के समान बराबरी का दर्जा, उनके हक, अधिकार और न्याय दिलवाना, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेजप्रथा, डायन प्रथा, विधवाओं पर अत्याचार, तलाक और अन्य घरेलू हिंसा जैसे अमानवीय कृत्यों को रूकवाकर महिला उन्नति व विकास का मार्ग प्रषस्त करना, घरों में होने वाले अत्याचारों के संबंध में सबसे बडी समस्या यह है कि महिलाएं इस तरह की ज्यादतियों की पीडा किसी को नहीं बताती, बता भी दे तो कोई सकारात्मक नतीजा नहीं होता। समाज व सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अत्याचारों से पीडित महिलाओं को अत्याचारी परिवार के चंगुल से बचाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत में नारियों की धर्म, परम्परा और कुल प्रतिष्ठा को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। स्त्री जटिल भारतीय सामाजिक व्यवस्था से लडकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयासरत् तभी बन सकती है जब समाज, परिवार, प्रशासन व शासन का सहयोग निरन्तर प्राप्त होगा।

डा. अर्चना शर्मा
उपप्राचार्या, वेदान्ता स्नातकोत्तर महिला महाविधालय रींगस (सीकर) राज

संदर्भ ग्रंथ–

1.महिलाओं के प्रति अपराध–प्रज्ञा शर्मा , पोइन्टर पब्लिशर्स
2. महिला एवं मानवाधिकार–एम. ए. अंसारी, ज्योति प्रकाशक, जयपुर
3.भारतीय पुलिस–व्यवस्था व विवशता–डा. सुरेन्द्र कटारिया, आर बी एस ए पब्लिशर्स,जयपुर
4.महिला एवं पुलिस– अमिता जोशी, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो, नई दिल्ली
5.कन्या भ्रूणहत्या एवं महिलाओं के प्रति धरेलू हिंसा, प्रकाशनारायण नाटाणी, बुक एनक्लेव ,जयपुर